

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर,
उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की
जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप
से आगे-जाने दें और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा
प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME
OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE
TO WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS
FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM
OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE
OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से

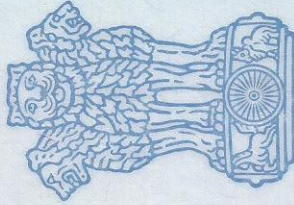
BY ORDER OF

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA



मनोज कुमार राय
Manoj Kumar Rai
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
Regional Passport Officer
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
मुंबई/MUMBAI

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA



सत्यमेव जयते

पासपोर्ट
PASSPORT

इस पासपोर्ट में 26 पृष्ठ हैं। This Passport contains 26 pages.

P

IND

भारतीय / INDIAN

U8336637

MAITRA

ANKANA

03/02/1976

F

KOLKATA, WEST BENGAL

MUMBAI

24/02/2021

समाप्ति की तिथि / Date of Expiry
23/02/2031

P<INDMAITRA<<ANKANA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
U8336637<4IND7602034F31022372075170639421<12



पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

ANANTA BRATA MAITRA

माता का नाम / Name of Mother

KALAPI MAITRA

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

SOUGATA MUKHERJEE

पता / Address

SUNDERVAN CRYSTAL CHS, F3-102

ANDHERI WEST, MUMBAI

PIN: 400053, MAHARASHTRA, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

J7615198

09/08/2011

KOLKATA

फाइल नं. / File No.

B02075170639421



U8336637



पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करावाए।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की बात भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या धारक के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुप्त हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में निम्नलिखित भारतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। निम्नलिखित सूचना के बाद ही डुबलीक्रे पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR, IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. IMMEDIATELY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

रिजर्वेशन / OBSERVATION

